न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

निगरानी संख्या 42/17 तारीख रजू– 01/09/17

1–रामफूल पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाड़ा।
2–दयाराम पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाड़ा।
——निगरानी गुजार (प्रार्थी)

बनाम

1– रामलाल पुत्र सुरज्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाड़ा।
2– राधादेवी पत्नी हरिराम गुर्जर निवासी ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाड़ा।
3– ग्राम पंचायत सारसोप जरिये सचिव।
–अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक– 31/8/18

प्रार्थीगण ने यह निगरानी ग्राम पंचायत सारसोप के मिसल संख्या 89 में पारित आदेश दिनांक 11/03/74 के विरूद्ध पेश की है तथा निगरानीगुजार द्वारा निगरानी प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत सारसोप के मिसल संख्या 89 में पारित आदेश दिनांक 11/03/74 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर तथा अदालत मातहत की पत्रावली ग्राम पंचायत से चाही जाने पर ग्राम पंचायत ने अपने पत्रांक 501–502 दिनांक 29/07/18 द्वारा अवगत कराया कि उक्त पत्रावली पूर्व सचिव द्वारा चार्ज में नहीं दी है तथा ग्राम पंचायत का समस्त रिकोर्ड तलाश करने पर उक्त पट्टा संबंधी पत्रावली ग्राम पंचायत सारसोप में कही पर भी उपलब्ध नहीं मिली है। उक्त सूचना के आधार पर पत्रावली बहस में लगायी जाकर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानी गुजार (प्रार्थीगण) ने निगरानी मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। निगरीनकर्ता ग्राम सारसोप के निवासी है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एक ही मौहल्ले में रहते है। निगरानीकर्ता संख्या 1 द्वारा रास्ते में शौचायल व गटर टैक का निर्माण करने लगे जो ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण रूकवा दिया गया तथा उक्त पूरे रास्ते का पट्टा होना बताया गया। ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे की नकल हेतु निगरानी कर्ता द्वारा आवेदन किया गया तो ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे संबंधित पत्रावली नहीं होना बताया गया। जब ग्राम पंचायत में पत्रावली ही नहीं थी तो पट्टा कैसे जारी हुआ तथा उक्त पट्टे में आम रास्ता का भी हवाला होना चाहिए था तथा उक्त विवाद रास्ते से संबंधित है। रास्ते का विवाद 251 ए आबादी भूमि के लिए नहीं है। 251ए कृषि भूमि के लिए है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी सही प्रतीत होती है, साथ ही वकील निगरानीगुजार द्वारा उक्त पट्टा निरस्त हेतु निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में पट्टे का विवाद न होकर आम रास्ते का विवाद है तथा रास्ते के विवाद में अन्य एक्ट में समक्ष न्यायालय

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

में निगरानीकर्ता को वाद प्रस्तुत करना चाहिए था तथा मौके पर रास्ता बना हुआ है। अतः निगरानी कर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार कर ग्राम पंचायत का निर्णय दिनांक 11/02/74 यथावत रखने हेतु अप्रार्थीगण के वकील ने निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि जिस पट्टे के संबंध में उभय पक्षो के मध्य विवाद है। उक्त पट्टे संबंधित मूल पत्रावली ग्राम पंचायत में नहीं होना पाया गया है तथा रेस्पों द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया पट्टा भी प्रमाणित नहीं है। उभय पक्षो द्वारा उक्त प्रकरण में यह स्वीकार किया गया है कि विवाद आम रास्ते से संबंधित है तथा आम रास्ते का पट्टा जारी किया हुआ है। उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत में पत्रावली उपलब्ध न होना व अप्रार्थीगण द्वारा पट्टे की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है अथवा नहीं ? स्पष्ट नहीं होता है, साथ ही उभय पक्षो ने स्वयं स्वीकार किया है कि पट्टा आम रास्ता का जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आम रास्ता का पट्टा जारी करना कानून के विपरित है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः मेरे अभिमत में निगरानी स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरीन गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सारसोप द्वारा पत्रावली संख्या 89 में पारित पट्टा निर्णय दिनांक 11/02/74 निरस्त किया जाता है, साथ ही ग्राम पंचायत सारसोप को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रकरण में मौके की गहनता से जांच करे तथा आवागमन के लिए रास्ते को ध्यान में रखते हुए जॉच उपरान्त पुनः नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक ——31.8.18——को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर